

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

फा.क्र. 21(1)-2023-चार-वि. निर्वा.-161.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म.प्र.-वि.स.-  
2023 (1), दिनांक 30-11-2023, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है :-

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर, 2023-09 अग्रहायण, 1945 (शक)

### अधिसूचना

संख्या 434/म.प्र.-वि. स./2023 (1)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.-वि. स./2023 (1), 19 अक्तूबर, 2023, में आगे संशोधन करता है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये स्तम्भ (1) के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी की तदनुसूची प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी :-

#### सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
111-बालाघाट	6- महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट
84-जयसिंहनगर (.जा.ज.अ)	5- नायब तहसीलदार, सोहागपुर-2

2. उपर्युक्त अधिकारी उक्त विधान सभा क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचनों 2023 में मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अमित कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 30<sup>th</sup> November 2023-09 Agrahayana, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

**No. 434/MP-LA/2023 (1)** -In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes further amendments in its Notification No. 434/MP-LA/2023(1), dated 19<sup>th</sup> October, 2023, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely:-

In Column (2) of the table appended to the said Notification, the existing entries against the name of Assembly Constituency mentioned below in Column (1) shall be substituted with the corresponding entries in the table appended below:-

**TABLE**

<b>No. &amp; Name of Assembly Constituency</b>	<b>Assistant Returning Officer</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
111-Balaghat	6- General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, Balaghat
84- Jaisingnagar (ST)	5- Nayab Tehsildar, Sohagpur-2

2. The above Officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing General elections, 2023 from the abovementioned assembly constituencies.

By order,  
Sd./-  
(AMIT KUMAR)  
Secretary,  
*Election Commission of India.*